न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अवमानना प्रा0पत्र संख्याः—40 / 2016 / (2016 / 00040)

1. सांवरा पुत्र स्व0 पांचू पौत्र स्व0 जोरा, जाति जाट, नि0 ग्राम देराठूं, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

प्रार्थी

बनाम

1. कालू पुत्र काना,
2. रामा पुत्र काना,
3. मांगू पुत्र काना,

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम देराठू, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अप्रार्थीगण

अवमानना प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2—ए सपठित धारा 151 जा0दी0.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील प्रार्थी.
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः—29.03.2019

1. प्रार्थी ने यह अवमानना प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2—ए जा0दी0 के तहत हाजा न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 25.8. 2014 की अवमानना के संबंध में पेश किया गया है ।
2. अवमानना प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
3. विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि आवेदनकर्ता प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 316 / 2014 श्रीमती दाखा बनाम कालू व अन्य प्रस्तुत की गई थी । उक्त अपील में न्यायालय हाजा द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 25.8.2014 को पारित किया जाकर विवादित आराजियात खसरा नंबर 791 / 1043, 5521, 5693, 5812, 5815, 5820, 5821, 5822, 5824, 5826, 5877, 5695, 5695 / 7185, 5872, 5874, 5697, 1647, 5698 जो कि ग्राम देराठू, तहसील नसीराबाद में अवस्थित है कि भूमियों बाबत् अप्रार्थीगण के रहन, बेचान व मुन्तकिल नहीं करने एवं मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया था। न्यायालय हाजा का उक्त स्थगन प्रभावी रहने के बावजूद अप्रार्थीगण एवं उनके सहयोगियों द्वारा दिनांक 25.12.2015 से निरन्तर एवं दिनांक 4 व 5 जनवरी 2016 को मौके पर उक्त आराजी पर एकजुट होकर मय जे0सी0बी0 के आकर उक्त आराजी के एक भाग पर न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश दिनांक 25.8.2014 की अवमानना करते हुए मौके पर भारी तादाद में यानि 100 फुट चौड़ा खड्डा खोद दिया एवं बजरी की चोरी कर बेचान की गई

तथा उक्त आराजी पर खड़े पेडों को भी नष्ट करवा दिया । इस संबंध में आवेदनकर्ता द्वारा पुलिस थाना सदर नसीराबाद के समक्ष दिनांक 5.1. 2016 को प्रथम सूचना भी दर्ज कराई थी जिस पर पुलिस ने धारा 151 जा0फौ0 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया इसके बावजूद अप्रार्थीगण मौके पर भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाने पर आमादा है । अप्रार्थीगण न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश दिनांक 25.8.2014 की अवमानना कर रहे है जो दण्डनीय अपराध है । आवेदनकर्ता वृद्ध व्यक्ति है जिसे भारी मानसिक पीड़ा हुई है एवं आर्थिक नुकसान भी हुआ है इस कारण अप्रार्थीगण की अन्य सम्पति को कुर्क किया जाकर आवेदनकर्ता को 1,00,000/—रूपये की राशि अप्रार्थीगण से बतौर हर्जाना के दिलवाई जावे तथा न्यायालय हाजा के आदेशों की अवमानना किये जाने से सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जावे ।

4. हमनें प्रार्थी/आवेदनकर्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रार्थी का कथन है कि हाजा न्यायालय द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में स्थगन आदेश दिनांक 25.8.2014 को पारित कर आराजियात रहन, बैचान, मुंतकिल नहीं करने एव ंमौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये थे परन्तु रेस्पो/अप्रार्थीगण के द्वारा आदेश की जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर जे0सी0बी0 के द्वारा खड्डे खोद रहे है, बजरी चोरी कर रहे है एवं खड़े पेडों को जे0सी0बी0 से नष्ट कर रहे है यह भी कथन किया कि इस संबंध में दिनांक 5.1.2016 को थाना सदर, नसीराबाद में रिपोर्ट की जिसमें पुलिस द्वारा धारा 151 जा0फो0 में अप्रार्थीगण को गिरफ्तार भी किया गया है । उपरोक्त कथनों के समर्थन में मौके की छाया चित्र एवं धारा 107, 116 (3), 151 सी0आर0पी0सी0 मय आदेशिक प्रस्तुत की। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी यह साबित करने में असमर्थ रहे कि दिनांक 25.8.2014 को विवादित भूमि पर ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद की वास्तविक वस्तुस्थिति क्या थी । इस संबंध में तहसीलदार, नसीराबाद अथवा हल्का पटवारी गिरदावर की कोई मौका रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है । प्रार्थी अपने अवमानना प्रार्थना पत्र को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

5. निर्णय आज दिनांक 29.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर